POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण देश रोशन

कार्यालय
जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – नारायणपुर

दुरभाष नम्बर 07781–252943 Email ID- dwednarayanpur@gmail.com

क्रमांक /249/ मबावि / सावि 2026–27 नारायणपुर दिनांक 04/11/2026

"संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन"
"जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र"

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. के पत्र क्रमांक / 6132 / मबावि / सावि / 2025–26 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.09.2023 के तहत मिशन शक्ति अंतर्गत आने वाले समस्त योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु जिले में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowerment of Women) हेतु जिले में 02 संविदा पद रिक्त है,। इस हेतु जिले में योजनांतर्गत भारत शासन के निर्देशानुसार संविदा / एकमुश्त वेतन के कुल 02 पद का भर्ती किया जाना प्रस्तावित है उक्त पद की पूर्ती किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे संलग्न तालिका मे दर्शाये विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 18../11/2026 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्ट्रेट के सामने जिला नारायणपुर (छ0ग0) में आमंत्रित किया जाता है।

1. जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र हेतु पद का विवरण :–

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	निर्धारित मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	(01 अ.ज.जा)	25780.00	8	• सामाजिक कार्य / अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री। • स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव
2	कार्यालय सहायक	(01 अनारक्षित	18420.00	6	• लेख / अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। • लेखा संबंधित कार्यो का शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव

Scanned with OKEN Scanner

2. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण :–

मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW- District Hub for Empowerment of Women) में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन शक्ति के दिशानिर्देश में उल्लेखित है। **तदानुसार उक्त पद पर योजना अंतर्गत निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है।**

2.1 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

2.2 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेंष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा :–

3.1 **जेण्डर विशेषज्ञ**, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 **कार्यालय सहायक** पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्यशासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.3 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते :–

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्याता
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	कार्यालय सहायक	लेखा / अन्य क्षेत्र में स्नातक /डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• लेखा से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

Scanned with OKEN Scanner

4.1 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

4.2 जेण्डर विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

- कार्यालय सहायक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

4.3 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.4 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- उम्मीदवार **जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।** ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- कोई भी उम्मीद्वार जिसे महिलओं के विरूद्ध किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, इस योजना के तहत् किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4.5 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

4.6 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा **<u>प्रमाणित/सत्यापित</u>** प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावेगा।

4.7 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (संचालक एवं जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

4.8 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

4.9 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

4.10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

4.11. आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। प्रत्येक पद के लिए पृथक – पृथक आवेदन देना होगा।

4.12 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

4.13 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वाक–इन–इटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

4.14. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

4.15 कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4.16 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

4.17 विज्ञापन संबधित विस्तृत जानकारी जिले के **वेब साईट www.narayanpur.gov.in** पर उपलब्ध है।

5. नियुक्ति की प्रकिया :–

5.1 जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Dhew) हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठन किया जाकर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रकिया की अनुसार ही की जायेगी। यह नियुक्त समिति कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

5.2 समिति द्वारा पारदर्शी प्रकिया से नियुक्ति हेतु/ भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रकिया का निर्धारण करते हुए विज्ञापन आमंत्रित किया जावेगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे:–

5.2.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

5.2.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।

5.2.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे।

5.2.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

5.2.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। उक्त पद पर दोनों रखे जाने पर वहां 10–10 अंक होंगे।

5.2.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

5.3 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 5 की उप कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से उक्त पद के 1:10 के रेशियो में वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा।

6. नियुक्ति की अवधि :–

6.1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

6.2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

6.3. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही समीति होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

पृ.क./249/मबावि/सावि/2026–27 नारायणपुर 04/11/2026

प्रतिलिपि –

1. सचिव,महिला उवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादन सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

5. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग की ओर राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. नारायणपुर को शासकीय वेब साईड **narayanpur.gov.in** मे अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय कलेक्टर एवं विभागीय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला –नारायणपुर,(छ.ग.)

01. अवेदित पद का नाम :–
02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–
आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :–
03. पिता/पति का नाम :–
04. स्थायी पता :–
:–
:–
:–
05. पत्र व्यवहार का पता :–
:–
:–
:–
06. जन्मतिथि (अंको में) :–
(शब्दों में) :–
07. दिनांक 01.01.2026 को आयु :–
08. लिंग पुरूष /महिला :–
09. जाति/वर्ग (अजा./अजाजा./अपिव./सामान्य) :–
10. क्या आवेदक शास./अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :–
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :–
12. यदि आप विवाहित है,तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :–
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्रमांक	उत्तीर्ण परिक्षा का नाम	संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

14. अन्य योग्यता का विवरण :–.....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हॉ/नहीं) :–.....

कमांक	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

16. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूचीः–
 1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसुची/प्रमाण पत्र।
 2. 12 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
 3. स्नातक की अंकसूची /प्रमाण पत्र।
 4. स्नातकोत्तर की अंकसूची। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
 5. जति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
 6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
 7. पहचान पत्र/आधार कार्ड /वोटर आईडी इत्यादि।
 8. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिख व 5 रू. डाक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नों का विवरण :–

01. 02.
03 04.
05 06.
07 08.

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम

– घोषण पत्र –

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :–.....

दिनांक :–.....

Scanned with OKEN Scanner